

JPDG-194

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD.


NO.JPD/CAO/REV/F380/D. 3493

Jaipur, dated : 10/3/06

The Superintending Engineer (Civil),  
Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd.,  
Jaipur.

Sub:- Outstanding dues against Jaipur Discom for the period 19.1.2002 to 31.3.2003

A copy of letter No.38 dated 16.01.2006, as received from the Office of the District Collector, Karauli is enclosed herewith for further verification of the dues as shown in the enclosed list of the aforesaid letter.



(A. K. Jain)  
Chief Accounts Officer

Copy to the following for information & necessary action:-

1. The Superintending Engineer (O&M), Jaipur Discom, Dausa.
2. The Executive Engineer (O&M), Jaipur Discom, Hindaun in reference to his letter No.4391 dated 31.1.06.



Chief Accounts Officer

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

उपभोक्ता प्रति

क्रमांक  
नाम  
पता

दिनांक  
श्रेणी  
खाता संख्या

विद्युत सन्वन्ध की स्थिति विच्छेद / चालू

31.03.05 तक की बकाया			
मूलधन (1)	डी.पी.एस. (2)	कुल राशि (3)	
1-4-05 के पश्चात बढ़ी हुई राशि	ब्याज की राशि (6% प्रति वर्ष) 31.3.06 तक		
मूलधन (4)	डी.पी.एस. (5)	31.3.05 तक की बकाया पर (6)	1.4.05 के पश्चात बढ़ी हुई राशि पर (7)
कुल राशि (8) = (3 से 7 तक)	कुल छूट (9) = (2+6)	विद्युत कर (10)	कुल राशि (11) = (8-9+10)

- उपरोक्त बकाया राशि में विद्युत चोरी (Theft) व अनियमितता (Malpractice) यदि कोई शामिल है तो उस राशि पर छूट देय नहीं होगी।
- पूर्व में 2004-05 या 2005-06 में जारी रियायती योजना में फायदा ले चुके उपभोक्ताओं पर यह योजना लागू नहीं होगी।
- उपरोक्त राशि 31.3.2006 तक एक मुस्त / किस्त जमा करवा कर रियायती योजना का लाभ उठावे अन्यथा EUDR ACT के तहत कार्यवाही की जावेगी / विस्तृत जानकारी हेतु कृपया सहायक अभियन्ता कार्यालय में सम्पर्क करें।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

सहायक अभियन्ता ( )

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कार्यालय प्रति

क्रमांक  
नाम  
पता

दिनांक  
श्रेणी  
खाता संख्या

विद्युत सन्वन्ध की स्थिति विच्छेद / चालू

31.03.05 तक की बकाया			
मूलधन (1)	डी.पी.एस. (2)	कुल राशि (3)	
1-4-05 के पश्चात बढ़ी हुई राशि	ब्याज की राशि (6% प्रति वर्ष) 31.3.06 तक		
मूलधन (4)	डी.पी.एस. (5)	31.3.05 तक की बकाया पर (6)	1.4.05 के पश्चात बढ़ी हुई राशि पर (7)
कुल राशि (8) = (3 से 7 तक)	कुल छूट (9) = (2+6)	विद्युत कर (10)	कुल राशि (11) = (8-9+10)

- उपरोक्त बकाया राशि में विद्युत चोरी (Theft) व अनियमितता (Malpractice) यदि कोई शामिल है तो उस राशि पर छूट देय नहीं होगी।
- पूर्व में 2004-05 या 2005-06 में जारी रियायती योजना में फायदा ले चुके उपभोक्ताओं पर यह योजना लागू नहीं होगी।
- उपरोक्त राशि 31.3.2006 तक एक मुस्त / किस्त जमा करवा कर रियायती योजना का लाभ उठावे अन्यथा EUDR ACT के तहत कार्यवाही की जावेगी / विस्तृत जानकारी हेतु कृपया सहायक अभियन्ता कार्यालय में सम्पर्क करें।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

सहायक अभियन्ता ( )